कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री नवीन माथुर (जन्मदिनांक 11.01.77) तत्कालिन व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) अग्रेंजी वर्तमान में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरणगॉव (नागौर) इनके व्याख्याता पद के वरिष्ठता क्रमांक 1009/2006-07 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3) के अनुरुप ग्रुप-डी-II के अनुरुप प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष विभागीय पदौन्नति समिति बैठक द्वारा रिव्यू रिविजन पृथक वर्ष 2016-17 के रिक्तियों के विरुद्ध चयनोपरान्त, निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य /संस्था /बी-2/45005/ डीपीसी 16-17/रिव्यू रिविजन पृथक/2016 दिनांक 27.09.2016 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाकरा रोड़ (जालौर) के पद पर पदस्थापित किया गया था। आदेशों की पालना में पदौन्नति पर कार्यग्रहण किया। श्री नवीन माथुर वर्तमान में प्रधानाचार्य रा.उ.मा.विद्यालय बरणगॉव (नागौर) में कार्यरत हैं।

श्री नवीन माथुर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरणगॉव (नागौर) ने आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2017 में अपनी विषम परिस्थितियों, स्वास्थ्य सबंधी व पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रधानाचार्य पद से व्याख्याता पद पर पदावन्नत करने की मांग की हैं।

श्री नवीन माथुर स्थाई लोक सेवक के रूप में कार्यरत थे, राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 15 के अधीन श्री नवीन माथुर पूर्व कार्यरत स्थाई पद व्याख्याता अग्रेंजी के पद पर पदाधिकार (लियन) नियमानुसार रखते हैं। इनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र पर एवं इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारणों को स्वीकार करते हुये, इनको प्रधानाचार्य (उमावि) के पद से व्याख्याता के पद पर एतद् द्वारा पदावन्नत किया जाता हैं एवमं व्याख्याता अग्रेंजी पद पर पदस्थापन हेतु संस्थापन सी-अनुभाग को सुपुर्द किया जाता हैं।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/ए-2-7/पदावनत/2017 दिनांक : 07.11.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-शिक्षा नागौर
4. श्री नवीन माथुर वर्तमान में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरणगॉव (नागौर) तत्कालिन व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) अग्रेंजी (पदावन्नत-व्याख्याता) को भेजकर लेख है कि व्याख्याता अग्रेंजी के पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर वे अपने पद का चार्ज विद्यालय के वरिष्ठतम कार्मिक को सुपुर्द कर एवं शालादर्पण को अपडेट कर तत्काल कार्यमुक्त होवे।
5. कम्प्युटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी सस्थांपन-सी, प्रभाग- कार्यालय हाजा को पदस्थापन हेतु।
7. प्रभारी संस्थापन बी-I, बी-II एवं बी-III को
8. कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर